

ABES Engineering College, Ghaziabad

Office of the Registrar

Ref. No: ABES/RO/J/129/2023-24

Date: 23.11.2023

Notice

Sub: Regarding Renewal & Fresh application of UP Government Scholarship-Session 2023-24.

The State Government has invited renewal & fresh applications of scholarship for the session 2023-24. The desirous and eligible students of all branches/courses under all categories (Gen/OBC/SC/ST) can apply at **Scholarship.up.gov.in.** The detailed information such as eligibility, required documents & the procedure are as under:

(A) Eligibility criteria:

Category	Annual Income	Domicile	Eligibility	
			Newly Admitted:-	
SC/ST	2.5 Lac	Only for UP Domicile	All Courses students admitted through Counseling in 2023-24.	
			2 nd Year Onwards: (Existing Students)	
GEN	2 Lac	Only for UP Domicile	 Student of NBA Accredited Branches only (ECE, CSE, ME, IT & EN only) 	
OBC & MIN	2 Lac	Only for UP Domicile	 Counseling students. Direct Admissions who are having 60% Marks or above in 12th/Diploma / UG, in case of UG courses & 55% or above in Graduation, in case of PG Courses. 	

(B) Documents Required (Arrange in following Order)

- Print out of Renewal/Fresh Application Form (Accepted only in portrait A4 Size). Write your admission no. (in BOLD) on the top of application at the right side.
- Copy of Bank Passbook (Bank Account of any district in UP).
- Copy of student's Aadhar Card.
- Marksheet and Passing Certificate of 10th, 12th & last qualifying exam (in case of Diploma or PG courses)
- 5. Net verified copy of 10th Marksheet from site of CBSE/ISCE/UP or Other Board.
- Copy of Income Certificate (For fresh application, income certificate issued in the current year or after 1st April. For renewal application, the same copy as submitted with the 1st scholarship application).
- 7. Net verified copy of Income Certificate from the Govt. website (www.edistrict.up.nic.in or bor.up.nic.in.).
- Pay slip (For service class) or Pension proof with bank statement (For Pensioner), Copy of current year ITR (For Businessman/Lawyer), Copy of e-shram Card (For Laborer). It is mandatory document for all.
- Caste Certificate issued by competent authority.
- 10. Net Verified copy of Caste Certificate from the Govt. website (www.edistrict.up.nic.in or bor.up.nic.in.).
- 11. Domicile Certificate issued by competent authority.
- 12. Net Verified copy of Domicile Certificate from the Govt. website (www.edistrict.up.nic.in or bor.up.nic.in.).
- 13. Copy of Fee receipt of Academic & Hostel Fees.
- Copy of counseling letter (In case of counseling admission).
- Affidavit on Rs. 10 stamp paper in Original (format enclosed and also available at Stationery Shop).
- Copy of "Track Student Record" (students applying for renewal can get it from scholarship Website "Scholarship.up.gov.in").
- 17 Praroop "Cha" on prescribed format (attached & also available at College Stationery Shop)

Important Note:

- 1) Students admitted under Tuition Fee Waiver category (TFW), PMSSS, KM are not allowed to apply scholarship.
- 2) Before filling the application, please read carefully Annexure A (letter issued by Samaj Kalyan Vibhag, Lucknow & Annexure B (Procedure for filling up application) for detailed information.

After completion the above, kindly submit the hard copy of the application form alongwith above mentioned documents to the Registrar Office through window No. 1 latest by **31.12.2023.** If you fail to submit the same (online and offline) by the mentioned date, you are responsible for any consequences.

(Nitika Jain) Registrar

Copy to:

- 1. Chairman Office & Director office, for kind information please.
- 2. DOSW, Proctor, for kind information please.
- 3. Academic HODs -for information and wide circulation among students through Whats app group.
- 4. College notice boards including Hostels (Boys & Girls).
- 5. All students through mail.
- 6. Web- Admin with a request to upload the copy of the notice on college.

File No.26-3099/575/2023- -3-

संख्या- 7-2/2023/ 2851 /26-3-2023/C.N.- 1741061

प्रेषक.

रजनीश चन्द्र. विशेष सचिव. उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

निदेशक. समाज कल्याण विभाग ত্ত0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं युल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेख निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

अहोदय.

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्यां-2597/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्योरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
第0	प्राक्रियात्वर वगवनारः प्राक्रियात्वर	
		21 सितम्बर 2023 से
9	शिक्षण संस्था द्वारा मास्ट्र डाटा तैयार करना	
•	ेन में कित बतीब शिक्षण संस्थाना द्वारा मास्टर डाटा बस भ	19 दिसम्बर 2023 तक
	क्या होने के किये अतिहत करने की कायवाही शिक्षा	
	विभाग/विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया	
	जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त	- X A , I
	करना।	
•	वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये	
	आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय	
	द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना।	
	मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य	4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल	
*	सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार	
	एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को	and a second
	अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
	अकिए/अज्ञात करका जानदर ६४मावार स अन्यानित करती।	



9

2 विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया उछात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। 4 छात्र द्वारा बुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना। 5 हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित	
का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया उहात्र हारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। वात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। कात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कथा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया उहात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। उहात्र द्वारा तुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई तुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, साटा की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया उज्जों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। उज्जें द्वारा तृटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसका प्रमाणिकता का डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया उणत्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। उणत्र द्वारा अनलाइन आवेदन किया जाना। उणत्र द्वारा नुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया उग्रतें द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। अध्याद्वारा नुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया 3 छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। 4 छात्र द्वारा तृटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
उात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। अज्ञ द्वारा नुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना। 4 छात्र द्वारा नुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
4 छात्र द्वारा तृटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	1
निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	1
छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रीटया को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	
हार्ड कापी छात्र/छात्राओ द्वारा वाछित सलप्रका साहत 25 तिहास 2023 तक	
आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	
The second secon	
6 शिक्षण संस्थान द्वारा आवदन पत्र का आनलाइन सत्यापत 25 तितन्यर 2024 तक एवं अग्रसारित करना	
छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं	. 1
संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण	
संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त	
करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का	
अतेरन ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	
र वित्तिकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हींकरण हेतु भातक 08 जनवरा 2024 स	
विकास	F
कान ह्यानाओं दारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का	
क्रमा संभा द्वारा ऑनलाइन लात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान	
अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारा के निदशन में जनपदाय	
अधिकारियों शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के	
अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का	1.
श्रीतिक सत्यापन किया जाना।	
विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक 12 जनवरी 2024 से	
द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम 15 फरवरी 2024 त	क
त संस्था को ब्लॉक करना	
जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेत्) एवं सम्बान्यत	1
विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता,	
पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनस्त वर्गवार वास्तविक	
याठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन	
सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक	
करना।	3
एन0आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी 12 जनवरी 2024	4
PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को 30 जनवरी 2024	
एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके	

File No.26-3099/575/2023- -3-



	मुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्री के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	31 जनवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक
11	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों की छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों की	31 जनवरी 2024 से 09 करवरी 2024 तक
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अप्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा बांछित संलप्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलप्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2024 तक
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राजा हुलाई में विभिन्न बिन्दओं पर पनः परीक्षण किया जाना।	13 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
14	जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लाक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा	04 मार्च, 2024 तक
15	लॉक किया जाना। मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सजित कराना।	10 मार्च 2024 तक
16	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	

- 3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निधीरित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-
 - 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।

- *882R.
- 2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सचना नहीं भरनी होगी।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में

पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-
- क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।
- ख- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।
- ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में संचातित पाठ्यक्रम में शुक्क न भरने अथवा भरी गयी शुक्क को सत्यापित न किये जाने पर।
- 7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावित्यों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव। Signed by रचनीश चन्द्र Date: 13-09-2023 17:42:48

Reason: Approved

प्0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0ियक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/विकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५- निदेशक, कोषागार, उ०प्र०लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्पाण, उ०प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- १०- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव।

Direction Chart

http://scholarship.up.gov.in



Student (Newly Admitted Students)



Click on Registration (Fill All Information and Submit)



SC,ST & GEN Category (FRESH)

 Postmatric Other than Inter OBC Category (FRESH)

 Postmatric Other than Inter Minority Category (FRESH)

 Postmatric Other than Inter

Points to be noted while filling in the scholarship form for renewal of scholarship form (2nd Year onwards).

- Students are advised to fill in their Course, Branch & Year carefully and correctly.
- 2. Newly admitted students fill Admission No. in place of enrollment no. (विश्वविद्यालय पंजीयन क्रमांक संख्या) in the scholarship form.
- The scholarship will be distributed on the merit basis (Obtained marks and percentage of the previous year result) rather on income basis, according to the modified Guidelines for the session 2016-17.
- 4. 2nd year onward students have to fill last year exam system is semester wise and last year marks system is year wise.
- Newly Admitted students of B.Tech. fill 12th marks as per mark sheet mentioned subject. Do not fill Best 5 Subject marks if mentioned 6 subject in marksheet.
- 6. Fill the following Non Refundable in scholarship form.

Course	1 st Year Students	2 nd Year Students	3 rd Year Students	4 th Year Students	
Course	Non Refundable Fee	Non Refundable Fee	Non Refundable Fee	Non Refundable Fee	
B.Tech.	Rs. 117492	Rs. 117492	Rs. 117492	Rs. 117492	
MCA	Rs. 117492	Rs. 117492	-	-	
M.Tech.	Rs. 119992	Rs. 119992	-		

दशमोत्तर छात्रवृति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र / छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्था के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करने हेतु विवरण पत्र — सत्र 2023—24

संस्था का नाम : ए०बी०ई०एस० इंजी	नियरिंग कॉलेज, गाजियाबाद	
1. छात्र / छात्रा का नाम :		
(उसी (Speling)) में जिसका प्रयोग छात्रवृत्ति	आवेदन में किया गया है)।	
		गत्रा द्वारा व संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित फोटो मोहर सहित
2. छात्र / छात्रा के (i) पिता का नाम—		
(ii) माता का नाम—		
(iii) पति का नाम—		
(iv) अभिभावक का नाम—		
(उसी (Speling) में जिसका प्रयोग छात्रवृत्ति आवे	दिन में किया गया है)	
3. छात्रवृत्ति आवेदक का पंजीयन क्रमांक —		
4. प्रवेशित / अध्ययनरत संस्था का नाम 🕒		
5. पाठयकम जिसके लिए आवेदन किया गया -		
6. पाठ्यक्रम की अवधि (एक वर्ष / दो वर्ष / तीन	वर्ष /चार वर्ष /पांच वर्ष) .	
 पाठ्यक्रम का वर्ष जिसके लिए आवेदन किया (प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / पंचम) 	गया—	
8. आवेदन नवीन है या पुनःनवीनीकृत है –		
9. गतवर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का नाम व वर्ष —		
10. क्या पिछले पाठ्यक्रम व वर्तमान पाठ्यक्रम में तो उसकी अवधि व कारण प्रस्तुत किया जाय।	एक वर्ष से अधिक का अन्तरा	ल है? यदि हॉ
कारण		
11. क्या छात्र / छात्रा द्वारा सीधे पाठ्यक्रम के द्विर हेतु आवेदन किया गया है? यदि हां तो पाठ्यक्रम		

	12. क्या छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया में पुनर्नवीकरण (Renewal) हेतु अर्ह था, किन्तु उसके द्वारा नवीन आवेदन किया गया है? यदि हॉ तो कारण स्पष्ट किया जाय।					
	कारण :					
	13. आवेदक द्वारा प्रयुक्त आय प्रमाण पत्र का क्रमांक —					
	।. प्रयुक्त आय प्रमाण पत्र में अंकित वार्षिक आय (रू० धनराशि)—					
	छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अंकित वार्षिक आय :					
	. आय प्रमाण पत्र जिसके नाम से निर्गत है उसका नाम (आय प्रमाण पत्र के अंकित नाम की (Speling) के अनुरूप हो नाम अंकित करें)					
	17. आय प्रमाण पत्र जिसके नाम निर्गत है उससे छात्र / छात्रा का क्या सम्बन्ध है?					
	18. क्या इसी क्रमांक वाले आय प्रमाण पत्र का प्रयोग छात्र/छात्रा के सगे भाई/बहन द्वारा भी छात्र/छात्रा के रूप में छात्रवृत्ति हेतु किया गया है? :					
	यदि हॉ तो निम्न विवरण अंकित करें—					
	(i) भाई / बहन का नाम (उसी वर्तनी / (Speling) में जो छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित है)					
	(ii) छात्रवृत्ति आवेदन का पंजीयन कमांक					
	(iii) अध्ययनरत संस्था का नाम					
	(iv) अध्ययनरत व छात्रवृत्ति हेतु आवेदित पाठ्यकम/वर्ष छात्रवृत्ति आवेदन में।					
	(v) पिता / माता / पति / अभिभावक का नाम (Speling) में जो छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित है)					
40						
	(vi) प्रयुक्त आय :					
	19. आय प्रमाण पत्र जिसके नाम से अंकित है उसका PAN No अंकित करें।					
	20. पिता / माता / पति / अभिभावक के आय का स्रोत क्या है?					
	(i) सरकारी / अर्द्ध सरकारी / प्राइवेट नौकरी है तो पद एवं कार्यरत होने का पूर्ण पता					
	(ii) व्यापार / व्यवसाय है तो उसकी प्रकृति क्या है ? व्यापार / व्यवसाय का नाम के साथ पता सहित पूर्ण विवरण अंकित किया जाय।					
	(iii) कृषि है तो लगभग कृषि योग्य भूमि कितनी है।					
	(iv) अन्य पेशा—डॉक्टर/वकील/इंजीनियर/इंजीनियर/चार्टड एकाउन्टेन्ट/.					
	टेन नम्बर—					

21 कार्यस्थल का विवरण

	पिता का कार्यस्थल	माता का कार्यस्थल	पति का कार्यस्थल
कार्यालय/प्रतिश्ठान का नाम			
स्थान (पूर्ण पता)			
शहर			
जनपद			
टेलीफोन नम्बर			
अभिभावक का कार्यस्थल			

22.	पिता / माता / अभिभावक आय प्रमाण पत्र जिसके नाम है उसका मोबाइल न0
23.	छात्र / छात्रा द्वारा प्रयुक्त जाति प्रमाण पत्र का कमांकः
24.	छात्र / छात्रा द्वारा प्रयुक्त निवास प्रमाण पत्र का कमांक :
25.	छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अंकित (i) सी०बी०एस० बैंक खाता संख्या
	(ii) बैंक ब्रान्च का नाम— :
	(iii) आई०एफ०एस०कोड- :
	(iv) बैंक खाता में दर्ज छात्र / छात्रा का नाम
	(उपरोक्त सभी विवरण सम्बन्धित बैंक में दर्ज अभिलेखोंनुसार होना चाहिए)
26.	छात्र / छात्रा का मोबाइल न०- :
27.	छात्र/छात्रा का आधार नम्बर/आधार नामांकन संख्याः
28.	स्थायी पता :
29.	वर्तमान निवास का पता (यदि छात्र/छात्रा छात्रावासीय है तो छात्रावास का नाम व कमरा न0 के साथ पता)
30.	वर्तमान पाठ्यक्रम के पूर्व अध्यनरत पाठ्यक्रम व वर्ष जिसके लिए छात्र / छात्रा द्वारा पूर्व में छात्रवृत्ति का आवेदन किया गया हो।:
31.	उपरोक्त पाठ्यकम / वर्ष में छात्र / छात्रा को छात्रवृत्ति / शुल्क की प्रतिपूर्ति हुई अथवा नही
nere:	
	गत (पिछली) परीक्षा का रोल नम्बर :
33.	गत (पिछली) परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुतीण :

34.	गत (पिछली) परीक्षा का प्राप्तांक प्रतिशत	•					
35.	कैटेगरी (जाति)	:					
36.	जन्मतिथि	:					
37.	हाईस्कूल का कमांक (रोल नम्बर)	:					
38.	यदि छात्रावासीय हे तो छात्रावास का कुल	न	शुल्क जो जमा किया गया।				
39.	छात्रवास शुल्क जिस बैंक ड्राफ्ट से जमा	f	केया गया उसका नम्बर व दिनांक				
40. छात्रावास शुल्क परिवार की आय से जमा किया गया अथवा बैंक लोन से यदि बैंक लोन है तो लोन देने वाले बैंक का नाम पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराये।:							

छात्र के हस्ताक्षर अधिकारी के हस्ताक्षर छात्र का नाम रिज0 नं0

संस्थाध्यक्ष / छात्रवृत्ति नोड़ल संस्था की मोहर

क्त 10 के स्टैम्प पेपर पर वर्ष (2023-24) घोशणा पत्र माता/पिता/सरसंक/छात्र की ओर से

ओर से : छात्र / छात्र	ा का नाम :	छात्र की	
पिता का नाम :		फोटो नोटेरी	
अनुक्रमांक:		करा कर	
कोर्स / ब्रान्च / वर्ष :	J		
छात्र का मोबाईल नं0.			
छात्र / छात्रा की ओर में शपथ पूर्वक बयान	से		
में शपथ पूर्वक बयान	करता हूँ कि— 5 मेरा उपरोक्त नाम व पता सही है।		
	5 में आपके कालेज में कोर्स	। <u>स</u> ं।	
	मेरी उपजातिहै जो कि अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/सामा		के
	न आती है।	Water the state of	
	 मेरे पिता की आय प्रमाण पत्र संख्या नम्बर 	. है।	
	ह मेरे पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू० 2 या 2.5 लाख से कम है।		
	मेरी जाति प्रमाण पत्र संख्या नम्बर	है।	
7-यह कि	मेरी निवास प्रमाण पत्र संख्या नम्बर	है।	
8-यह कि	b मेरा खाताशाखा में है। मेरा बचत ख	बाता नं0है त	ाथा
बैंक	का आई०एफ०एस०सी० कोड नं0है।		
9यह कि	 मैने समाज कल्याण विभाग गाजियाबाद के अतिरिक्त किसी और छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ग 	र्ते हेतु कहीं भी आवेदन नहीं किया है।	
10-यह वि	के मैंने आवेदन के साथ जो आय प्रमाण पत्र तथा अपने अन्य शैक्षिक प्रमाण–पत्र जमा कराये	हैं वह पूर्णतया सही है तथा उनकी सत्यता	की
पूर्ण	जिम्मेदारी मेरी होगी।		
11-यह f	कि मैने समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट http://scholarship.up.gov.inके माध्यः	म से छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के वि	लेए
आनलाइन	। आवेदन करदिया हैं तथा आनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन की हार्ड कापी सभी उ	आवश्यकप्रमाण पत्रों के साथ संस्था में जमा व	करा
रहा हूँ/र	ही हूँ।आनलाइन आवेदन करने अथवा प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की कमी होने अथवा	त्रुटि (भिन्नता) पाये जाने पर मै स्वयं जिम्मे	दार
होऊगा / ह	होऊगीं। आवेदन में दिया गया विवरण पूर्णतया सत्य है।		
माता / पिता / सरक्षंक / 12-मैं (पि	ाता का नाम)पिता (छात्र का नाम)	निवासी	
		करता हूँ कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न अ	ाय प्री
व्रमाण पत्र किसी प्रक	जन देशाया गया आय सनस्स त्रासा स रूक्का है । जर की जांच में दर्शायी गई प्रार्थी की आय गलत व झूठी पाई जाती है तो उसके लिए अघोहर	था का जाय का काई जन्य श्रात नहीं है। र स्ताक्षरकर्ता / प्रार्थी पूर्णतया जिम्मेदार होगा।	114
गर कि र	मारे द्वारा कहे गये उक्त सभी वाक्य क्रमांक सं0 1 से 12 तक सत्य है तथा हमारे द्वारा तथ्ये	ों को फिपाया नहीं गया है। यदि हमारे टारा	टी
गयी कोई	भी सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि पायी जाती है तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्	र्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज र्सा	हेत
वापस कर	द्ंगा / दूंगी एवं समाज कल्याण विभाग / महाविद्यालय हमारे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवार	ही के लिए स्वतंत्र होगा।	
(40)			
छात्र के ह	इस्ताक्षर : माता/पि	ोता / सरक्षंक के हस्ताक्षर	
छात्र का न	नाम:—	पिता/माता का नाम:	